कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-14.05.2025

विषय:- दहेज हत्या के मामले में वांछित अभियुक्त शमीम उर्फ केचक थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस आयुक्त वाराणसी द्वारा वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन में, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया के कुशल नेतृत्व में थाना लोहता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु.अ.सं.- 111/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना लोहता से संबंधित वांछित अभियुक्त शमीम उर्फ केचक पुत्र हैदर उर्फ अब्दुल वहीद (पति) निवासी रहीमपुर नई बस्ती थाना लोहता वाराणसी को दिनांक-14.05.2025 को समय करीब 10.15 एस्सार पेट्रोल पम्प केराकतपुर लोहता से गिरफ्तार किया गया। उक्त सम्बन्ध में थाना लोहता पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक 12.05.2025 को वादी मुकदमा ने विपक्षीगण के विरुद्ध अपनी बहन को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने व मांग पूरी न करने पर हत्या कर देने के सम्बन्ध में लिखित प्रा.पत्र दिया जिसके आधार पर थाना लोहता में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त रोहनिया द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शमीम उर्फ केचक पुत्र हैदर उर्फ अब्दुल वहीद (पति) निवासी रहीमपुर नई बस्ती थाना लोहता वाराणसी उम्र करीब 41 वर्ष।

गिरफ़्तारी का स्थान, दिनांक व समय-

एस्सार पेट्रोल पम्प केराकतपुर लोहता, दिनांक-14.05.2025 को समय करीब 10.15 बजे।

आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0-111/2025 धारा 85/80(2) बीएनएस व ¾ डीपी एक्ट थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

थानाध्यक्ष निकिता सिंह, उ0नि0 अनुज कुमार, का0 बृजेश यादव, का0 अनूप गौतम थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।